पत्रांक–डी०डी०–1–विविध–68 / 2026.............

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :– दिनांक–23.07.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–7275 (भ), दिनांक–05.08.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया है कि व्यवहार न्यायालय / अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में महिला शौचालय के बगल में एक Interconnected Nursing (feeding) room की व्यवस्था माननीय उच्चत्तम न्यायालय के आदेशानुसार की जानी है।

सभी कार्यपालक अभियंता को उपरोक्त Nursing (feeding) room को Identify करके वस्तु स्थिति से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विभाग को एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराने का निदेश दिया गया था। जो प्रतिवेदन आदिनांक तक अप्राप्त है।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त विषय वस्तु का प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह० / –
(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 7385 (भ)अनु दिनांक– 7/8/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7.8.26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

दिनांक–23.07.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में वाणिज्य कर विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही

सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभाग द्वारा क्रियान्वित वाणिज्य कर विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में दिये गये महत्वपूर्ण निदेश निम्नवत् हैः–

वाणिज्य कर विभाग

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा (सारण) एवं मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि छपरा (सारण) एवं मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत वाणिज्य कर के कार्यालय के पदाधिकारियों के आवासीय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। किन्तु अभीतक एकरारनामा नहीं किया गया है।

  निदेशित किया गया कि अविलम्ब एकरारनामा किया जाय।

  अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा (सारण)/मुजफ्फरपुर
- सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को निदेशित किया गया कि कार्य प्रारंभ किये जाने से पूर्व संवेदको के साथ कार्य का एकरारनामा अवश्य कर लिया जाय।

  अनुपालनः–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मधेपुरा जिलान्तर्गत प्रस्तावित नये जिला अतिथि गृह (12) कमरों के निर्माण कार्य में भवन का फिनिसिंग कार्य प्रगति में है। परिसर विकास में 10 अदद पेड़ आ जाने के कारण कार्य में बांधा उत्पन्न हो गया है।

  निदेशित किया गया कि जहॉ तक संभव हो सके पेड़ों को बचाते हुए परिसर विकास कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

  अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा
- कार्यपालक अभियंता, नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ द्वारा बताया गया कि अनुमंडल कार्यालय हिल्सा के परिसर में निर्माण किये जा रहे Canteen का फिनिशिंग कार्य अंतिम चरण में है। 15 अगरस्त, 2026 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

  अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ
- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंड़ल, किशनगंज द्वारा बताया गया कि राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत समाहरणालय परिसर किशनगंज में Meeting Hall (200 Capacity) के निर्माण कार्य पर तत्कालीन जिला पदाधिकारी किशनगंज द्वारा मौखिक रूप से कार्य कराने से मना किया गया है।

  निदेशित किया गया कि वर्तमान जिला पदाधिकारी, किशनगंज से सम्पर्क कर इसपर लिखित निदेश प्राप्त किया जाय।

  अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज
- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा द्वारा बताया गया कि मुख्यालय स्तरीय पदाधिकारी कर्मियों के (टाईप ए0, बी0, सी0, डी0 एवं ई0) आवास के निर्माण कार्य में टाईप सी0 एवं ई0 आवास के लिए अभीतक स्थल खाली नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।

  प्रशासी विभाग से अनुरोध किया गया है कि स्थल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

  अनुपालनः–सामान्य प्रशासन विभाग।
- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा द्वारा बताया गया कि छपरा समाहरणालय परिसर में प्रस्तावित प्रशासनिक भवन (G+5) निर्माण कार्य का स्थल खाली नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है।

0/C

प्रशासी विभाग से अनुरोध किया गया कि स्थल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः—सामान्य प्रशासन विभाग।

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा बताया गया कि टाईप सी0 एवं डी0 आवास निर्माण कार्य हेतु पुराना भवन तोड़ा जाना है। भवन खाली नहीं होने के कारण उसे तोड़कर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।

  प्रशासी विभाग से अनुरोध किया गया कि स्थल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः—सामान्य प्रशासन विभाग।

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य के सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि न्याय विकास पोर्टल पर Centrally Sponsered Scheme (CSS) के अन्तर्गत भवन निमार्ण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विधि विभाग की योजनाओं को दिनांक 31.07.2026 तक अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः—सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग

- मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि राज्य के व्यवहार न्यायालय एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में महिला शौचालय के बगल में एक—एक Interconnected Nursing (feeding) room की व्यवस्था माननीय उच्चत्तम न्यायालय के आदेशानुसार की जानी है।

  सभी कार्यपालक अभियंता उपरोक्त Nursing (feeding) room को Identify करके वस्तुस्थिति से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विभाग को एक सप्ताह में अवगत करायेंगे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुपालनः—सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

5.5.26

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक—डी0डी0—1—विविध—49 / 05 / 2025—26(पार्ट—VII) 7275(6) दिनांक— 5/5/26
प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / आयुक्त—सह—सचिव, वाणिज्य कर विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

5.5.26
अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक—डी0डी0—1—विविध—49 / 05 / 2025—26(पार्ट—VII) 7275(6) दिनांक— 5/5/26
प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब—साईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को भेजने हेतु प्रेषित।

5.5.26
अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
सह—विशेष सचिव